

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/देवघर ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : १९/३/१९

विषय :-

मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—७८९—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—४६—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५—निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९S470180789460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या— २१/१४—१५, दिनांक—०६.०८.१४ एवं ३५/१८—१९, दिनांक ०१.११.१८

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९—जल संसाधन विभाग / ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०—सामान्य	७८९—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—४६—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	०५—निर्माण, ४५—निर्माण कार्य, विपत्र कोड :— ४९S470180789460545	78.85

आवंटित राशि – ₹ अठहत्तर लाख पचासी हजार मात्र।


- आवंटित राशि वर्ष २०१८—१९ के बजट उपबंध राशि ₹ ६००.०० लाख (छ: करोड) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ तथा २७४७(वि.), दिनांक—१९.०९.१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)  
(रमेश कुमार दूब)  
विशेष सचिव  
(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख—१

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

  
 (अरुण कुमार सिंह) 18.3.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 214

रॉची, दिनांक :— 19/2/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/खूटी/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

  
 (अरुण कुमार सिंह) 18.3.19  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 214


रॉची, दिनांक :— 19/2/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


  
 214

(राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

  
 19/2/19

(रमेश कुमार दूबे)  
 विशेष सचिव

  
 (हेमन्त कुमार)  
 अभियंता प्रमुख-1

  
 (अरुण कुमार सिंह) 18.3.19  
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक ..... २१४

दिनांक ..... १९/३/१९

का अनुलग्नक

मांग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिवर्त्य

उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य

लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण ४५-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- ४९S470180789460545

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में बजट उपबंध रु. ६००.०० लाख (छ. करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का वर्तमान आवंटन	क्रीड़ा का आवंटन	क्रीड़ा का आवंटन	क्रीड़ा का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	आवंटित अनुक्रिति
				राशि	प्रसंग								
१	जलपथ प्रमंडल, चुंती (RNCCRK02)	राँची	लतरातु जलाशय योजना अंतर्गत लोधमा से लतरातु ड्रेन साइट तक समर्क पथ (Approach Road) के पुनर्स्थापन कार्य हेतु।	499.320	21 / १४-१५ प्र.रक्षी, दिनांक- ०६.०३.२०१४ Online AA-2337/11.03.19	0.00	0.00	83.85	83.85	102575	102575	102575	102575
२	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवधर	वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई त्रै रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्बोधन/अनुरक्षण कार्य हेतु।	335.040	35 / १८-१९ प्र.स्थी. दिनांक ०१. ११.२०१८ Online AA-1479/02.11.18	0.00	22.87	-5.00	17.87	75219	75219	75219	75219
			योगा	22.87	78.85	101.72							

आवंटित राशि - ₹ अरहतार लाख पचासी हजार मात्र।

*राजेन्द्र प्रसाद  
उप सचिव (आमि.)*

*(रमेश कुमार द्वारा दिया गया)  
विशेष सचिव*

(हमना कुमार)  
अभियंता प्रमुख-१

(अंकित कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव  
१२.३.०९